न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2016-17 निगरानी

श्री .... द्वारा आज दि. 9-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विशाल सिंह पुत्र भगवंत सिंह आयु 80 साल व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम बैरागढ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. - प्रार्थी

बनाम

1. विनोद पुत्र रामचन्द्र बघेल निवासी ग्राम आंतरी तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र.
2. भंवर सिंह पुत्र काशीराम कमरिया निवासी ग्राम लदवाया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र.
3. कल्लू पुत्र बिहारी शिवहरे निवासी ग्राम बैरागढ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र. -प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय डबरा के प्रकरण कमांक 39/16-17 बी 121 व उनमान विशाल सिंह बनाम विनोद आदि मे पारित आदेश दिनांक 3.1.2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 143—पीबीआर/2017 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.01.17	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि घनी आबादी में स्थित होने से बार—बार सीमांकन किये जाने से मामूली अंतर आना स्वाभाविक है,और अनावदेकगण द्वारा विधिवत् निर्माण कार्य किया जा रहा है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य रोकने सम्बन्धी आदेश समाप्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	